



मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

दूरभाष सं० : 0141-2224878

ई-मेल: rmsc.mnjy@gmail.com

एफ04 ()एमएनजेवाई/न्यायालय प्रकरण/2015-16/529

दिनांक - 4/12/15

अति-आवश्यक

न्यायालय प्रकरण

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय: विभागीय प्रकरणों की सूचना न्याय विभाग की वेबसाईट (LITES) लाईटस पर अपडेट करवाने बाबत।

सन्दर्भ: श्रीमान उपसचिव महोदय चिकित्सा व स्वा०विभाग (ग्रुप-3) विभाग के पत्र क० एफ 15 (3) चिस्वा/ ग्रुप-3/2015 दि० 18.11.15 के क्रम में।

उपरोक्त सन्दर्भ एवं विषयान्तर्गत श्रीमान उपसचिव महोदय चिकित्सा एवं स्वा०विभाग (ग्रुप-3) विभाग के सन्दर्भित पत्र के द्वारा प्राप्त प्रपत्र संख्या 1,3,5 की फोटो प्रति संलग्न का लेख है कि आपके चिकित्सा संस्थान के अधीन मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना अन्तर्गत प्राप्त न्यायिक प्रकरणों की सूचना अविलम्ब/आज ही न्याय विभाग की वेबसाईट (LITES) लाईटस पर अपडेट करवाते हुए साफ्टकॉपी/हार्डकॉपी ईमेल rmsc.mnjy@gmail.com पर आज ही भिजवाने का श्रम करवावे।

जिसमे श्रीमान उपसचिव महोदय को वांछित सूचना भिजवाई जा सके। सूचना अपडेट नहीं किये जाने व इस कार्यालय को नहीं भिजवाने की स्थिति मे विभाग द्वारा की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संलग्न -उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान उपसचिव चिकित्सा व स्वा०विभाग (ग्रुप-3)।
3. उपविधि परामर्शी (मुख्यालय), चि० एवं स्वा० विभाग, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक जोन।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : एफ 15 (3)चिस्वा./ग्रुप-3/2015

जयपुर, दिनांक 18 NOV 2015

निदेशक, जन स्वा0/प0क0/एड्स/आईईसी/ईएसआई/एमएसयु
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर।

सहायक विधि परामर्शी,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर।

NO/PA/Dir/AIDS/
18 NOV 2015
D.M. & H.S. (AIDS)
APD Rs AcS/HemNJP

विषय:-विभागीय न्यायिक प्रकरणों की सूचना न्याय विभाग की वेबसाईट (LITES) लाईट्स पर
अपडेट करवाने बाबत।

संदर्भ:-इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.11.2015 एवं मुख शासन सचिव महोदय, विधि
विभाग के अ.शा.पत्र दिनांक 06.11.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र द्वारा उक्त संदर्भित अ.शा. पत्र की छाया
प्रति प्रेषित कर अपेक्षित पूर्ण सूचना न्याय विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध फॉर्मेट-1, फॉर्मेट-3 व
फॉर्मेट-5 में तैयार कर दिनांक 18.11.2015 को सायं 4:00 बजे व्यक्तिगत अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध
करवाने हेतु लिखा गया है। उक्त अपेक्षित पूर्ण सूचनाएं अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। माननीय मंत्री महोदय,
न्याय विभाग के द्वारा दिनांक 28.11.2015 को मध्याह्न 12:00 बजे समीक्षा बैठक नियत की है, जिसमें
प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को जाना है। फॉर्मेट-5 में अपेक्षित संबंधित
सूचना तैयार कर भिजवायें। अतः उक्त फॉर्मेट-1, फॉर्मेट-3 एवं फॉर्मेट-5 की प्रतियां सुलग संदर्भ हेतु
प्रेषित कर लेख है कि अपेक्षित सूचना दिनांक 19.11.2015 को दोपहर 2:30 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता
को व्यक्तिगत आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवतीया,

(नीतू बारुपाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि वरिष्ठ विधि अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शासन उप सचिव

Ex-Parte Cases की समीक्षा की सूचना वास्ते निर्धारित सारिणी:

Format -3

क्रमांक	प्रकरणों का विवरण	एक पक्षीय आदेश-दिनांक	एक पक्षीय आदेश हेतु उत्तरदायी	
			ऑफिस इंचार्ज (नाम व पद)	एडवोकेट का नाम

Format-5

Fortnight Review of the Red Category Court Cases- by the State Nodal Officer.

Nodal Officer _____ Department _____

S.No.	Case Details	OIC Details	Advocate Details	Date of Review	Status of the case	Instruction given in the review meeting	Remarks (Nature of the Red category with the amount at stake if any.)

(Similar format for the non-Red Category case may be used).